

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या 76

लोक सभा

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	515.01	...	515.01	624.29	...	624.29	643.53	...	643.53	664.26	...	664.26
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>515.01</b>	<b>...</b>	<b>515.01</b>	<b>624.29</b>	<b>...</b>	<b>624.29</b>	<b>643.53</b>	<b>...</b>	<b>643.53</b>	<b>664.26</b>	<b>...</b>	<b>664.26</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.15	...	1.15	1.15	...	1.15
2. सदस्य	258.03	...	258.03	283.50	...	283.50	271.65	...	271.65	287.50	...	287.50
3. सचिवालय	254.52	...	254.52	337.80	...	337.80	368.88	...	368.88	373.64	...	373.64
4. सचिवालय (चीफ व्हीहप)	0.19	...	0.19	0.36	...	0.36	0.22	...	0.22	0.27	...	0.27
5. अन्य व्यय	1.27	...	1.27	1.63	...	1.63	1.63	...	1.63	1.70	...	1.70
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>515.01</b>	<b>...</b>	<b>515.01</b>	<b>624.29</b>	<b>...</b>	<b>624.29</b>	<b>643.53</b>	<b>...</b>	<b>643.53</b>	<b>664.26</b>	<b>...</b>	<b>664.26</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>515.01</b>	<b>...</b>	<b>515.01</b>	<b>624.29</b>	<b>...</b>	<b>624.29</b>	<b>643.53</b>	<b>...</b>	<b>643.53</b>	<b>664.26</b>	<b>...</b>	<b>664.26</b>
<b>ख. विकास शीर्ष सामान्य सेवाएं</b>												
1. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	515.01	...	515.01	624.29	...	624.29	643.53	...	643.53	664.26	...	664.26
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>515.01</b>	<b>...</b>	<b>515.01</b>	<b>624.29</b>	<b>...</b>	<b>624.29</b>	<b>643.53</b>	<b>...</b>	<b>643.53</b>	<b>664.26</b>	<b>...</b>	<b>664.26</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>515.01</b>	<b>...</b>	<b>515.01</b>	<b>624.29</b>	<b>...</b>	<b>624.29</b>	<b>643.53</b>	<b>...</b>	<b>643.53</b>	<b>664.26</b>	<b>...</b>	<b>664.26</b>

1. **अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष:** यह प्रावधान लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।

2. **सदस्य:** इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के लिए व्यय, अन्य सुविधाओं पर व्यय, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं और विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्राओं के लिए व्यय शामिल है।

3. **सचिवालय:** इसमें स्टाफ एवं अधिकारियों के वेतन, स्थापना संबंधी जरूरतों और संसद भवन में संचालित रेलवे कैंटीन के लिए सब्सिडी और लोकसभा टेलीवीजन चैनल से संबंधित व्यय का प्रावधान है।

4. **सचिवालय (चीफ व्हीहप):** मुख्य सचैतकों के सचिवालय के स्टाफ और अधिकारियों के संबंध में वेतन और भत्तों का प्रावधान है।
5. **अन्य व्यय:** अंतर-संसदीय संघ और राष्ट्र मण्डल संसदीय एसोसिएशन की वार्षिक सदस्यता शुल्क के लिए अंशदान का प्रावधान है।